

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्या: 169/2017

सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

बद्री पुत्र श्री धन्नाराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
...गैर निगरानीकार



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 ग्राम पंचायत अधिनियम एवं अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आबादी भूमि पट्टा विलेख जो कि नायब तहसीलदार बस्सी, द्वारा दिनांक 25.01.1975 को जारी हुआ, को नियम व शर्तों का पालन नहीं करने के कारण खारिज करने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री पवन कुमार त्रिवेदी एवं श्री भरत कुक्कड अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 05.09.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी नायब तहसीलदार बस्सी द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.01.1975 द्वारा विपक्षी अप्रार्थी बद्री पुत्र धन्नाराम जाति रैगर निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के पक्ष में भूखण्ड प्लॉट नंबर 7 क्षेत्रफल 15 गज गुणा 10 गज का निःशुल्क पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.11.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षी जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार को न्यायालय हाजा से रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये गये जिसको उनके द्वारा लेने से इन्कार किया गया। गैर निगरानीकार अनुपस्थित। अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर एकपक्षीय बहस उपस्थित अभिभाषक निगरानीकर्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि नायब तहसीलदार बस्सी द्वारा गैर निगरानीकार को प्लॉट नंबर 7 क्षेत्रफल 15 गज गुणा 10 गज का निःशुल्क पट्टा अनुसूचित जाति/जनजाति/श्रमिक कारीगरों को निःशुल्क पट्टे जारी किये गये थे, जिसमें शर्त संख्या 8 में यह स्पष्ट अंकित है कि पट्टेशुदा भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अंदर मकान व झोपडा बनाया जाना अनिवार्य होगा। यदि दो वर्ष की अवधि में आवंटी निर्माण नहीं करता है पुनः निर्माण की स्वीकृति लेनी होगी। परन्तु गैर निगरानीकार ने

आने पर पर मौका देखा गया एवं समस्त रिकॉर्ड की नकले ली जाने पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई। जिसके आधार पर प्रथम तो तहसीलदार बस्सी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पर विद्वा कराया निगरानी प्रस्तुत की गई। विवादित पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार व आबादी में है, जिसमें ग्राम पंचायत के अधिकार निहित है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी/गैरनिगरानीकार को जारी किया गया निःशुल्क पट्टा संख्या 7 दिनांक 25.01.1975 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। कार्यालय तहसीलदार बस्सी से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि नायब तहसीलदार बस्सी_अपने आदेश दिनांक 10.01.1975 द्वारा गैर निगरानीकार बंदी पुत्र धन्नाराम के पक्ष में प्लाट संख्या 7 क्षेत्रफल 15 गज गुणा 10 गज जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि गैर निगरानीकार का किसी प्रकार का कब्जा/निर्माण आदिनांक तक विवादित भूखण्ड पर नहीं है जबकि पट्टा आवंटन की शर्त संख्या 7 के मुताबिक दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनवाना अनिवार्य था। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि नायब तहसीलदार बस्सी द्वारा अप्रार्थी को निःशुल्क पट्टा आवंटन शर्त पर किया गया। इससे स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न्यायालय हाजा से जारी रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस को प्राप्त नहीं किया गया। न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील/निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बस्सी द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.01.1975 द्वारा बंदी पुत्र श्री धन्नाराम जाति रैगर, निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के हक में जारी पट्टा संख्या 7 निरस्त किया जाता है। साथ ही पत्रावली ग्राम पंचायत, जटवाडा पंचायत समिति बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के अर्न्तगत विधिसम्मत निर्णय लेवे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी को मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत जटवाडा को मुताबिक निर्णय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

